बसन्ती देवी बनाम शीशराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज दावा मु.नं. — 53/2018
	है। प्रतिवादी नम्बर 21 की सम्मन तामील अशालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या 21 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते पेश होने साक्ष्य वादीगण पत्रावली दिनांक 24.12.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
24.12.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। साक्ष्य वादीगण में वकील वादीगण ने वादी संख्या 3 गोविन्द शर्मा पुत्र रामकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी सीमारला जागीर का व वादी साक्ष्य गवाह में सुलतान राम पुत्र मंगला राम जाट के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकील प्रतिवादीगण की सहमति पर प्रकरण में अन्तिम बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 08.01.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
08.01.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
53 / 2018	2018 / 0179	29.06.2018	08.01.2025

उनवान प्रकरण

1. बसन्ती देवी पत्नि स्व0 रामकिशोर उम्र 74 साल **(मृत्तक नाम हजफ)**
2. कैलाशचन्द्र पुत्र स्व0 रामकिशोर उम्र 55 साल
3. गोविन्द शर्मा पुत्र स्व0 रामकिशोर उम्र 50 वर्ष
4. सावित्री देवी पत्नि स्व0 ओमप्रकाश आयु 68 वर्ष
5. दामोदर पुत्र स्व0 ओमप्रकाश आयु 48 वर्ष
6. दीपक पुत्र स्व0 ओमप्रकाश आयु 30 वर्ष
7. गोपीराम पुत्र भूरामल आयु 65 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

——वादीगण——

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

बनाम्

1. बीरबल पुत्र स्व0 भूराराम उम्र 55 साल
2. हरफूल पुत्र स्व0 भूराराम उम्र 50 साल
3. गोमाराम पुत्र स्व0 भूराराम उम्र 55 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

4. राजू देवी पुत्री स्व0 भूराराम आयु 58 वर्ष

5. सिणगारी देवी पुत्री स्व0 भूराराम आयु 52 वर्ष

6. धापू देवी पुत्री स्व0 भूराराम आयु 38 वर्ष

7. मोहरी देवी बेवा स्व0 मंगलाराम उम्र 60 साल

8. सुल्तान पुत्र स्व0 मंगलाराम उम्र 42 साल

9. लक्ष्मण पुत्र स्व0 मंगलाराम उम्र 35 साल

10. जगदीश पुत्र स्व0 मंगलाराम उम्र 30 साल

11. झमरी देवी पत्नि स्व0 रणमल उम्र 54 साल

12. रहेश पुत्र स्व0 रणमल उम्र 38 साल

13. प्रकाश पुत्र स्व0 रणमल उम्र 35 साल

14. कमला पुत्री स्व0 रणमल उम्र 39 साल

15. विमला पुत्री स्व0 रणमल उम्र 36 साल

16. सुनिता पुत्री स्व0 रणमल उम्र 34 साल

17. उर्मिला पुत्री स्व0 रणमल उम्र 30 साल

18. रामेश्वर पुत्र कजोड़ उम्र 58 साल (कार्यवाही विड्रा दिनांक 18.12.2024)

19. गोमाराम पुत्र हुक्मा (कार्यवाही विड्रा दिनांक 18.12.2024)

20. घीसाराम पुत्र हुक्मा (कार्यवाही विड्रा दिनांक 18.12.2024)

समस्त जाति जाट निवासीगण सिमारला [illegible] श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

21. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

22. पंजाब नेशनल बैंक शाखा रींगस जरिये मैनेजर (विक्षा दिनांक 19.09.2024)

23. बैंक आफ इण्डिया शाखा रींगस जरिये मैनेजर (विक्षा दिनांक 19.09.2024)

24. स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा रींगस जरिये मैनेजर (विक्षा दिनांक 19.09.2024)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितः—

श्री रामावतार सैनी प्रथम, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 01 से 17 की ओर से अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 21 की ओर से।

दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.09 हैक्टर, 1528 रकबा 0.07 हैक्टर, 1532 रकबा 0.21 हैक्टर, 1566 रकबा 1.00 हैक्टर, 1564 रकबा 0.07 हैक्टर प्रतिवादीगण की खातेदारी में एंव भूमि खसरा नम्बर 1544 रकबा 0.24 हैक्टर, 1547 रकबा 0.29 हैक्टर, 1548 रकबा 0.08 हैक्टर, 1572 रकबा 1.23 हैक्टर वादीगण एंव प्रतिवादीगण की खातेदारी में एंव भूमि खसरा नम्बर 1552 रकबा 0.95 हैक्टर, 1559 रकबा 0.02 हैक्टर, 1560 रकबा 0.01 हैक्टर, 1561 रकबा 0.34 हैक्टर, 1570 रकबा 0.36 हैक्टर, 15[illegible] रकबा 0.73 हैक्टर वादीगण के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खातेदारी मे दर्ज होकर उक्त सम्पूर्ण भूमियाँ तन् ग्राम सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर मे अवस्थित है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण दोनो पक्ष आपस में सींव जोड पड़ौसी काश्तकार है तथा विवादित भूमियों पर अपने पूर्वजों के समय से ही मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु सैटलमेन्ट के समय सैटलमेंन्टवालों की गलती व लापरवाही से पक्षकारान् के कब्जे की भूमियों का व सीमाओं का मुगालता होने की वजह से सैटलमेटवालों द्वारा भूमियों की खातेदारी दर्ज करते समय वादीगण के कब्जे काश्त की कुछ भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दी तथा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमियों में से कुछ भूमियों की खातेदारी वादीगण के नाम अंकित कर दी। जिसका दोनो पक्ष संभ्रान्त परिवार के सदस्य है। जिनका कब्जे काश्त बाबत दोनों पक्षोंके बीच कभी भी कोई विवाद नहीं होने से ना तो पक्षकारों ने अपनी भूमियों के खातेदारी में दर्ज हुए नामों के गलत दर्ज होने की जानकारी हो सकी एंव ना ही ऐसी कोई जानकारी करने की कोई आवश्यकता पड़ी। वादीगण व प्रतिवादीगण सभी अपने पूर्वजों के समय से ही मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। पक्षकारान् अपने–अपने हिस्से एंव कब्जे की भूमियों का आपस में विभाजन करके अलग–अलग खातेदारी दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का से भूमियों की जमाबन्दी की नकल लेने पर गलत इन्द्राज होने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। मुताबिक कब्जा काश्त वादीगण भूमि खसरा नम्बर 1532 में से 0.09 हैक्टर, 1527 के 0.045 हैक्टर, 1528 में 0.02 हैक्टर, 1566 के 0.04.5 हैक्टर व खसरा नम्बर 1564 के 0.07 हैक्टर पर काबिज काश्त है। इस भूमि के खातेदारी में गलत रूप से दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हटवाकर इस भूमि की खातेदारी में 1/3 हिस्सा वादी नम्बर 1 ता 3 व 1/3 हिस्सा वादी नम्बर 4 ता 6 का 1/3 हिस्सा, वादी नम्बर 7 गोपीराम के नाम दर्ज करवाने की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण आपस में पड़ौसी है। भूमि खसरा नम्बर 1544, 1547, 1548 व 1572 सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है परन्तु इसमें 1/2 हिस्सें में सैटलमेंटवालों ने गलत रूप से वादीगण का नाम अंकित कर दिया। इसलिए इस भूमि की खातेदारी के 1/2 हिस्सें में से वादीगण का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 के नाम अर्थात् हिस्सा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

ता 6 के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 10 के नाम एंव 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 11 से 17 के नाम अंकित कर दिया जावें। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 1552 में से 0.87 हैक्टर, 1559 रकबा 0.02 हैक्टर, 1560 रकबा 0.01 है0, 1561 रकबा 0.34 है0, 1570 रकबा 0.36 हैक्टर, 1571 रकबा 0.73 हैक्टर जो वादीगण के नाम है की खातेदारी भी वादीगण के नाम गलत अंकित हो गयी। जबकि इस भूमि पर भी 1/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 हिस्सा 1/3 पर व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 हिस्सा 1/3 पर व प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 17 हिस्सा 1/3 पर काबिज काश्त है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी जावें। जमाबन्दी खाता संख्या 224/16, खसरा नम्बर 1564 में दर्ज खातेदार कजोड़ पुत्र मंगला का देहान्त हो गया। जिसका वारिस प्रतिवादी नम्बर 18 रामेश्वर पुत्र कजोड़ तथा गोपी पुत्र मंगला के कोई वारिस नहीं होकर नाऔलाद फौत होने से उसके वारिस प्रतिवादीगण नम्बर 18 से 20 है। दिनांक 28.05.2018 को पटवारी हल्का से विवादित भूमि की जमाबन्दी की नकलें लेने से जानकारी होते ही वादकारण पैदा होकर दावा करना लाजिम आया है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.04.5, 1528 रकबा 0.02 हैक्टर, 1532 रकबा 0.09 हैक्टर, 1564 रकबा .07 हैक्टर, 1566 रकबा 0.04.5 हैक्टर के 1/3 हिस्से का वादी नम्बर 1 ता 3 को व 1/3 हिस्से का वादी नम्बर 4 ता 6 को एंव 1/3 हिस्से का वादी नम्बर 7 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एंव इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 1544, 1547, 1548, 1572 के वादीगण के नाम दर्ज 1/2 हिस्से से वादीगण का नाम हटाया जाकर इस सम्पूर्ण भूमि के 1/3 हिस्से का वादी नम्बर 1 ता 6 को व 1/3 हिस्से का वादी नम्बर 7 ता 10 को तथा 1/3 हिस्से का वादी नम्बर 11 ता 17 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व भूमि खसरा नम्बर 1552 रकबा 0.87 हैक्टर, 1559 रकबा 0.02 हैक्टर, 1560 रकबा 0.01 हैक्टर, 1561 रकबा 0.34 हैक्टर, 1570 रकबा 0.36 हैक्टर, 1571 रकबा 0.73 हैक्टर की खातेदारी से वादीगण का नाम हटाया जाकर इसके 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को एंव 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 7 ता 10 को एंव 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 11 ता 17 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस भूमि से वादीगण का नाम हजफ किये जाने तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है।

वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया। जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 ने प्रतिवादीगण की पहचान करते हुए राजीनामा स्वीकार किया। वादीया संख्या 1 का देहान्त हो जाने तथा उसके वारिसान् के पूर्व से रिकार्ड पर वादीगण संख्या 2 लगायत 7 प्रतिस्थापित होने से वादिया संख्या 1 के नाम के आगे मृत्तक शब्द अंकित किया गया। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 18 से 20 एंव 22 से 24 के विरूद्ध वादपत्र को विड्रा किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 18 से 20 एंव 22 से 24 के विरूद्ध वादपत्र विड्रा किये जाने की स्वीकृति दी गई। शेष प्रतिवादी संख्या–21 की तामील साधारण तरीके से करवाई गई। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 21 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पक्षकारान् की साक्ष्य वादी में वादी गोविन्द शर्मा पुत्र रामकिशोर व प्रतिवादी साक्ष्य में प्रतिवादी सुल्तानराम पुत्र मंगलाराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रकरण में साक्ष्य वादी व प्रतिवादीगण बन्द की जाकर प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया। वकील वादीगण ने वाद में पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने तथा साक्ष्य में वादी व प्रतिवादी का शपथ पत्र पेश हो जाने तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वादपत्र को बरूए राजीनामा अनुसार आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र को डिक्री की जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने बरूए राजीनामा अनुसार निस्तारण किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई।

हमनें [illegible] बहस बहुपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा [illegible] द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सीमारला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की चार–चार जमाबन्दीयाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र बसन्ती देवी की फोटो प्रति, वारिसनामा प्रमाण पत्र बसन्ती देवी, वादीगण व प्रतिवादीगण के आधार कार्ड की फोटो प्रतियां, साक्ष्य वादीगण के मुख्य परीक्षण मे पेश वादी गोविन्द शर्मा व प्रतिवादी सुल्तान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वादपत्र मे अंकित वादग्रस्त कृषि भूमियो के पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही ग्राम के होकर विवादित भूमियों के सहखातेदार काश्तकार होना प्रकट होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। जिसमें वादपत्र के पृष्ट संख्या 3 पर वादीगण ने अंकित किया है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण दोनों पक्ष आपस में सींवजोड़ पड़ौसी काश्तकार है तथा विवादित भूमियों पर अपने पूर्वजों के समय से ही मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु सैटलमेंट के समय सैटलमेंटवालों की गलती व लापरवाही से वादपत्र में अंकित भूमियों बाबत सैटलमेंटवालो को पक्षकारान् के कब्जे की भूमियों का व सीमाओं का मुगालता होने की वजह से सैटलमेंटवालों द्वारा भूमियों की खातेदारी दर्ज करते समय वादीगण के कब्जे काश्त की कुछ भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दिये जाने तथा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमियों में से कुछ भूमियों की खातेदारी वादीगण के नाम अंकित कर दिये जाने बाबत कथन अंकित किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अंकित वादग्रस्त आराजी भूमियों से सम्बन्धित पूर्व में एक वादपत्र उनवानी प्रकरण बसन्ती देवी वगै0 बनाम् भूरा वगै0 दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 71/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2013 के द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 888, 889, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1525, 1526, 1529, 1530, 1531, 1554, 1555, 1556, 1557, 1562, 1563 कुल किता 18 तन् ग्राम सीमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उनवानी प्रकरण बसन्ती देवी वगै0 बनाम् भूरा वगै0 दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 71/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2013 के द्वारा आदेश पारित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जाना तथा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से प्रकट होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में उक्त वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य शेष बचे खसरा नम्बरान् में खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने हेतु पृथक से यह वाद उनवानी प्रकरण बसन्ती देवी वगै0 बनाम् बीरबल वगै0 दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 53/2018 को भूमि खसरा नम्बर 1527, 1528, 1532, 1564, 1566, 1544, 1547, 1548, 1572, 1552, 1559, 1560, 1561, 1570, 1571 बाबत इन्ही वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के मध्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। जिसमें पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से न्यायालय में राजीनामा दिनांक 15.09.2022 को पेश कर तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत राजीनामें में भी उक्त मुकदमा संख्या 71/2012 उनवानी प्रकरण बसन्ती देवी वगै0 बनाम् भूरा वगै0 दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2013 के द्वारा पारित आदेश को स्वीकार करते हुए अब दोनों पक्ष उक्त से शेष रही भूमियों का यह राजीनामा होने से राजीनामा सही होना स्वीकार किया जाना राजीनामा में अंकित किया है। पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण अपने मध्य हुए राजीनामा दिनांकित 15.09.2022 के अनुसार अपने-अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना प्रकट होता है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा का अवलोकन करने पर वादपत्र में अंकित भूमियों का पक्षकारान् के मध्य आपस में कब्जे काश्त अनुसार अदला बदली किया जाना प्रकट होता है। जिसके बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस में राजीनामा कर वादग्रस्त भूमियों की अदला बदली किये जाने के सम्बन्ध में उक्त वादपत्र को प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। पक्षकारान् के द्वारा न्यायालय में पेश किये गये राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को बरूए राजीनामा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाने हेतु उक्त वादपत्र को प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। जिसके खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने से पूर्व उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादग्रस्त आराजी भूमियो का वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों पर मूल्याकन किया जाकर अदला बदली हो रही आधिक्य भूमि पर मुद्रांक शुल्क राशि राज्यकोष में जमा करवाने की शर्त पर स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी भूमियो मे मुताबिक राजीनामा दिनांक 15.09.2022 के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाकर पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 18 लगायत 20 के द्वारा वादीगण के पक्ष में किसी प्रकार का राजीनामा पेश नहीं करने एंव वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 18 से 20 के विरूद्ध अपने वादपत्र को दिनांक 18.12.2024 को विड्रा कर लिये जाने से प्रतिवादीगण संख्या 18 से 20 के नाम खातेदारी दर्ज जमाबन्दी अनुसार यथावत रखी जाना न्यायोचित प्रतित होती है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि यदि वादीगण व प्रतिवादीगण कृषि भूमियों की दोनों पक्षों के बीच में की जाने वाली अदला बदली की कार्यवाही में अधिक जाने वाली भूमियों की अन्तर मूल्याकंन राशि वर्तमान में प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों में से सिंचित दरों के आधार पर उक्त भूमि का तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नियमानुसार मूल्याकंन किया जाकर मुद्रांक शुल्क राशि पक्षकारान् के द्वारा राजकोष में जमा करवाई जाती है तो पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1527, 1528, 1532, 1564, 1566, 1547, 1548, 1572, 1552, 1559, 1560, 1561, 1570, 1571 बाबत पक्षकारान् के मध्य आपस में दिनांक 15.09.2022 को हुए राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण व प्रतिवादीगण एक दूसरे की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे एंव ना ही दिगर से करावे। प्रतिवादीगण संख्या 18 से 20 के नाम खातेदारी दर्ज जमाबन्दी अनुसार यथावत रखी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदुपंरात उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। बैंक ऋण/रहन पूर्वानुसार संबधित खातेदारान् के हिस्से पर यथावत रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

08/01/25

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/01/25

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested